

राजस्थान सरकार

निदेशालय चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सेवाएँ, राजस्थान, जयपुर
क्रमांक: ई-20/म0स्वा0कार्य0/(142/18)/2018/ दिनांक:-

आदेश

सुश्री सुलोचना, महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता (हाल जीएनएम प्रशिक्षणार्थी), उप स्वास्थ्य केन्द्र, जिगसानाताल, खण्ड तारानगर (जिला चूरु) को उनकी स्वयं की प्रार्थना पर आर.एस.आर. के नियम-112 के तहत निम्नानुसार अध्ययन अवकाश स्वीकृत किया जाता है:-

1. दिनांक 11.04.2018 से 10.04.2020 तक 2 वर्ष का अध्ययन अवकाश।
2. दिनांक 11.04.2020 से 08.08.2020 तक 120 दिवस का उपाजित अवकाश।
3. दिनांक 09.08.2020 से 08.04.2021 तक 243 दिवस का असाधारण अवकाश।

— 38 —
(राकेश शर्मा)

अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ

राजस्थान, जयपुर

दिनांक:- 08/01/2019

क्रमांक: ई-20/म0स्वा0कार्य0/(142/18)/2018/5/

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, रतनगढ़ (जिला चूरु)।
2. खण्ड मुख्य चिकित्सा अधिकारी, तारानगर (जिला चूरु)।
3. प्रधानाचार्य, श्री विनायक इंस्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग, जयपुर।
- 4/ प्रभारी, सर्वर रूम, मुख्यालय को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
5. सम्बन्धित कर्मचारी को द्वारा उनके प्रशासनिक अधिकारी।
6. आदेश/रक्षित पत्रावली।

(राकेश शर्मा)

अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ

राजस्थान, जयपुर